

फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/452

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
बलवीर बनाम सिलोचना आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 309 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
04.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 08.07.2024 को पेश हो।</p> <p>ॐ ^</p> <p>कुलाए उपस्थित/PU साइड अपवली पत्रावली है। पत्रावली 08.07.2024 गस्त 08.07.2024 दिनक 11.9.2024 पत्रावली</p>	<p>957 वादी</p> <p><i>[Signature]</i></p>
10.7.2024	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र सिलोचना के पेश करने पर प्रवावली को पेशी में लिखा गया। कुलाए फरिडेन उपस्थित वकील प्रवावली गणना ने साहित्य अकाउंट आकर राखी नामा केसा किया जिसे वाड तदरीह शाहित फादर किया गया प्रवावली वाले स्टेट उपलब्ध अकाउंट वादी 12.7.2024 को पेश हो।</p> <p>ॐ ^</p> <p>कुलाए उपस्थित/PU साइड अपवली पत्रावली है। पत्रावली स्टेट उपलब्ध गस्त 08.07.2024 दिनक 15.7.2024 पत्रावली</p>	<p><i>[Stamp]</i></p> <p>व.न.सिलोचना</p> <p>कुलाए</p> <p>जएमानकार</p> <p>जिलवादीगण</p> <p>संख्या 1 व 2</p> <p><i>[Signature]</i></p>
15.7.2024	<p>कुलाए फरिडेन उपस्थित वकील प्रवावली गणना की अवलोकन किया गया प्रवावली पर उपलब्ध अकाउंट वकील प्रवावली के नामा के आकर पर वाद वादी रिप्री किया गया है प्रवावली केसा सहित निधि अलग से लिखा जाकर शाहित फादर किया जाये। प्रवावली नम्बर केसा की जाकर वाड तदरीह तदरीह साहित्य अकाउंट वादी 15.7.2024 को पेश हो।</p> <p>ॐ ^</p> <p>कुलाए उपस्थित/PU साइड अपवली पत्रावली है। पत्रावली स्टेट उपलब्ध गस्त 08.07.2024 दिनक 15.7.2024 पत्रावली</p>	

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 309/2024 अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

बलवीर पुत्र राजेन्द्र जाति विशनोई साकिन चक 6 के.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. सिलोचना देवी पत्नी राजेन्द्र जाति विशनोई साकिन चक 6 के.डब्लु.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. कुलदीप कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति विशनोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री प्रभदयाल सहारण वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 15.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी बलवीर व प्रतिवादी स0 1 सिलोचना देवी को ब हिस्सा बराबर चक 6 के.डब्लु.डी. के प0 न0 159/397 (9) के किला न0 2/2 की 0.2341 है0 3/2 की 0.2341 है0 4/1 की 0.0378 है0 8/1 की 0.127 है0 9/1 की 0.239 है0 9/2 की 0.014 है0 12/3 की 0.024 है0 12/2 की 0.103 है0 कुल 1.013 है0 भूमि के,
2. प्रतिवादी स0 2 कुलदीप कुमार को चक 6 के.डब्लु.डी. के प0 न0 159/397 (9) के किला न0 8/2 की 0.082 है0 8/1 की 0.044 है0 दक्षिणी 13/2 की 0.133 है0 कुल 0.259 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2024 को जारी की गई।

05/07/24

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
जिला हनुमानगढ